


19-08-25

घड़साना

वकील जर्धी द्वारा जर्धीना पत्र प्राप्त करने पर फावली पेशी में ली गई। जर्धी द्वारा अपना ग्रांफ़ नोट-बैस किया गया। अतः नोट-बैस के आधार पर जर्धी का घट ग्रांफ़ इसी स्तर पर स्थायित्व किया जाता है (पत्रावली का तथ्य तर्कहीन होकर दायित्व दफ़तर है।)

निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(सुनील कुमार चौधरी)
उपस्युद्ध अधिकारी
घड़साना

जर्धीना पत्र
NOTE
Bess by
मे
अर्धीना
9-6-25
